## फर्द अहकाम

नाम न्यायालय –न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| वेदांत यादव | | विनोद कुमार यादव व अन्य |

केस संख्या 74/25 (2025/ online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये ग्राम मानसर खेडी प.ह. मानसर खेड़ी भू.अभि.नि. क्षैत्र बस्सी तहसील बस्सी जयपुर की विवादित आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 4.5269 एवं खसरा नम्बर 4 रकबा 6.7145 तथा खसरा 15/1 रकबा 0.5817 है0. के संबंध में अप्रार्थीगणों को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30/06/2025 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे । उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वाद पत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजि0 डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर इस आशय का प्रमाण पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करें। नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 30/06/2025 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बस्सी,जयपुर | 827<br>5-6-25 |
| 30/6/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 की ओर से वकील श्री मितेश गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया है। वकालतनामा व जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 11-7-25 को पेश हो। | U/T<br>मितेश गुप्ता |

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
| --- | --- |
| 1/7/25<br>Vedant 7062019762<br>[signature] 8003754100<br>I.d [signature]<br>[signature] 9414940447 | पत्रावली मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश होने पर नम्बर पर ली गयी। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहिचान वकील श्री विनोद शर्मा ने की है। वकील प्रार्थीगण ने मूल वाद में प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री का पेश किया जिस पर बहस हेतु मूल वाद के साथ पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 11.7.25 को पेश हो। [signature] |
| 11/7/25<br>[signature]<br>Vedant<br>I.d [signature]<br>[signature] | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित मूल वाद में प्रार्थना पत्र वाद डिक्री स्वीकार हो चुका है प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहिचान वकील श्री विनोद शर्मा ने की है। मूल वाद में प्रा. पत्र वाद डिक्री स्वीकार होने से दावा खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सार हीन होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 2.6.25 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश सार हीन होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] |